न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 03/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र भैरूलाल
2. मथुरा पुत्र भैरूलाल **(मृतक)**

2/1. कालीबाई बेवा मथुरा

2/2. हेमन्त पुत्र मथुरा

2/3. महेन्द्र पुत्र मथुरा

3. चतरा पुत्र भैरूलाल जातिगण माली निवासीगण कोटड़ा तहसील व जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर, एड. **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 28.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के पृथक पृथक खातों में विवादित आराजी ख0नं0 340 रकबा 0.05 है., 435/340 रकबा 0.04 है., 428/340 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.14 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम कोटड़ा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से दिनांक 18.03.1970 को 14 बिस्वा आराजी अप्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन के नाम नियमन होकर खातेदारी में दर्ज हुई थी। जिस समय उक्त आराजी अप्रार्थी कम 1 ता 3 भैरूलाल पुत्र गोरधन को नियमन हुई उस समय आराजी की किस्म गै मु. तलाई थी जो नियमन योग्य नहीं थी। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को किया गया नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट सं. [illegible]/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के नियमन को विधि विरूद्ध [illegible] नियमन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 [illegible] अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी परन्तु जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा। अतः जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

3— बहस के स्तर पर प्रकरण दिनांक 27.10.2016 से जैरकार है इतने अधिक समय तक बहस हेतु विचाराधीन रहने पर भी अभिभाषक अप्रार्थीगण निरन्तर बहस हेतु समय चाहते रहे।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

5— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम कोटड़ा की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015—24 में साबिक खसरा नंबर 285 रकबा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई का नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को किया जाकर दिनांक 18.03.1970 को किस्म नहरी कायम कर खातेदारी दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 340 रकबा 0.05 है., 435/340 रकबा 0.04 है., 428/340 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.14 है. किस्म नहरी I बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को उक्त भूमि का नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:29 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। समग्र के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015—2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाते सरकार दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नंबर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से 14 बिस्वा आराजी का नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

...ता को किया जाकर दिनांक 18.03.1970 को खातेदारी दी गई। मुताबिक सेटलमेंट ...माबन्दी संवत 2038–57 खसरा नंबर 340 रकबा 0.05 है., 435/340 रकबा 0.04 है., 428/340 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.14 है. किस्म नहरी I अप्रार्थीगण के पृथक पृथक खाते दर्ज कर दी गई, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को जिस वक्त भूमि नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को उक्त आराजी का नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को नियमनशुदा आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 14 बिस्वा किस्म गै. मु.तलाई के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 340 रकबा 0.05 है., 435/340 रकबा 0.04 है., 428/340 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.14 है. किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम कोटड़ा में पृथक पृथक खातों में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.05 है., 435/340 रकबा 0.04 है., 428/340 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.14 है. किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता भैरूलाल पुत्र गोरधन को गलत रूप से नियमन हुआ है, नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के पृथक पृथक [illegible] दर्ज है। जमाबन्दी खातों पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेक[illegible]कित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:09:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28.07.20[illegible] को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)